

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
मुरादाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 15 फरवरी, 2013

विषय: वर्ष 2010-11 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1274/प्रा०आ०सहा०-2012-13, दिनांक 21.01.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010-11 की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत आगणन/प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उल्लिखित 09 परियोजनाओं, जिसकी कुल लागत रुपये 4,36,17,000/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रु० 2,18,08,500/- (रुपये दो करोड़ अठ्ठारह लाख आठ हजार पाँच सौ मात्र) वित्तीय वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	मांगी गयी धनराशि (रु० में)	स्वीकृत धनराशि (रु० में)
1	2	3	
1	दलपतपुर-अलीगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी०-29 से चक रोशनपुर टाण्डा सम्पर्क मार्ग में हुई क्षति के रेस्टोरेशन का कार्य।	67,93,000/-	33,96,500/-
2	टिहरी-मुरादाबाद मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी०-384 से सेहल रेलवे स्टेशन से गाँव सहल मार्ग में हुई क्षति के रेस्टोरेशन का कार्य।	31,85,000/-	15,92,500/-
3	के०आर०एस०जे० मार्ग के कि०मी०-4 से कुण्डेसरा मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के कि०मी०-1, 2 एवं 3 में हुई क्षति के रेस्टोरेशन का कार्य।	28,00,000/-	14,00,000/-
4	ठाकुरद्वारा से करनपुर कि०मी०-1, 2 एवं 3 में हुई क्षति के रेस्टोरेशन का कार्य।	57,79,000/-	28,89,500/-
5	ठाकुरद्वारा अलीगंज मार्ग के कि०मी०-4 को ढेला नदी से बचाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	99,89,000/-	49,94,500/-
6	टिहरी-मुरादाबाद मार्ग के किमी०-351 से फरीदनगर ग्रामीण मार्ग के कि०मी०-1 से 3 में हुई क्षति के रेस्टोरेशन का कार्य।	24,26,000/-	12,13,000/-
7	ठाकुरद्वारा-डिलारी अन्य जिला मार्ग के कि०मी०-8	24,23,000/-	12,11,500/-

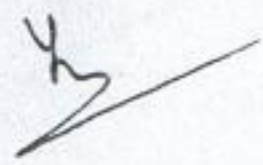
	से पसियापुर होते हुए पंडितपुर (ग्रामीण मार्ग) में हुई क्षति के रेस्टोरेशन का कार्य।		
8	ठाकुरद्वारा-डिलारी अन्य जिला मार्ग के कि०मी०-10 से बंकावाला मार्ग (ग्रामीण मार्ग) में हुई क्षति के रेस्टोरेशन का कार्य।	49,42,000 / -	24,71,000 / -
9	करनपुर-रतपुरा-शरीफनगर-जसपुर मार्ग के कि०मी०-1, 2, 3, एवं 14 से 20 में हुई क्षति के रेस्टोरेशन का कार्य।	52,80,000 / -	26,40,000 / -
	योग:-	4,36,17,000 / -	2,18,08,500 / -

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया ज कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते है। शासनदेश सं० 2660/1-10-2012-रा-10-33(171)/2012, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-78/पी०एस०आर०/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या- 32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं० 2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए



निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयेगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

11. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत मामले में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 04 जनवरी, 2013 द्वारा अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड आजमगढ़ द्वारा प्रस्तुत एक परियोजना जिसकी लागत 259.70 लाख आकलित/बताई की



गई है के संबंध में मण्डल स्तरीय आपरा राहत समिति के परीक्षणोंपरान्त/अनुमोदनोपरान्त समुचित प्रस्तव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या :486(1)/1-10-2013-12(34)/2011,टी.सी०.-3 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
 - 2- आयुक्त, मुरादाबाद, मण्डल, मुरादाबाद/प्रमुख सचिव लो०नि० विभाग उ०प्र० शासन।
 - 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
 - ✓ 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
 - 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुरादाबाद।
 - 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
 - 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
 - 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ०प्र० शासन।
 - 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(परशुराम प्रसाद)
संयुक्त सचिव।